सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 02/2019

1. शारदा पत्नी श्री प्रकाश कुमार जाति कुम्हार उम्र 31 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर 19, सूरतगढ , जिला श्रीगंगानगर राज0।

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ।
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :

1. श्री अमीत स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थीया
2. सीडीपीओ श्रीगंगानगर

आदेश — दिनांक : 28—01—2019

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 19—4 सूरतगढ में सहायिका के पद हेतु आवेदन किया था परन्तु वार्ड नम्बर 19—4 के वार्ड पार्षद द्वारा द्वेष भाव व रंजिश के कारण गलत रिपोर्ट देते हुए प्रार्थीया को वार्ड क्षेत्र से बाहर की रिपोर्ट देने के कारण शहरी चयन समिति सूरतगढ द्वारा प्रार्थीया के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया और प्रार्थीया का चयन निरस्त किया और सीडीपीओ साहब ने वार्ड पार्षद की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करते हुए प्रार्थीया का चयन नहीं किया। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश कमांक 2332 दिनांक 06.07.2018 के तहत आवेदन मांगे गये थे जिसके तहत प्रार्थीया ने नगरपालिका सूरतगढ वार्ड नम्बर 19—4 में सहायिक पद के लिए आवेदन किया। शहरी चयन समिति सूरतगढ द्वारा प्रार्थीया वार्ड नम्बर 19—4 की होने के कारण चयन नहीं किया गया जबकि प्रार्थीया इसी वार्ड की मूल निवासी है। प्रार्थीया का राशन कार्ड,मूल निवासी प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड आदि प्रमाण—पत्र वार्ड नम्बर 19 के बने हुए है। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेषभाव से, विधि विरूद्व, नियमों के विरूद्व तथा चयन समिति में पार्षद महोदय की गलत रिपोर्ट को मानते हुए प्रार्थीया के दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया, जबकि प्रार्थीया के 4 अंक सबसे अधिक है और प्रार्थीया का चयन होना था, परन्तु वार्ड पार्षद की गलत रिपोर्ट से चयन नहीं किया गया। प्रार्थीया ओबीसी की महिला है तथा कक्षा 12 वीं तक पढ़ी लिखी है तथा बीपीएल परिवार से है व दो बच्चे है एवं प्रार्थीया एक गरीब महिला है। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किया जाना सुनिश्चित कर प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्री गंगानगर (शहर) से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। उभय पक्ष को सुना गया। रिपोर्ट एवं रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया ने वक्त बहस अवगत कराया गया कि प्रार्थीया ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 19–4 सूरतगढ में सहायिका के पद हेतु आवेदन किया था परन्तु वार्ड नम्बर 19–4 के वार्ड पार्षद द्वारा द्वेष भाव व रंजिश के कारण गलत रिपोर्ट देते हुए प्रार्थीया को वार्ड क्षेत्र से बाहर की रिपोर्ट देने के कारण शहरी चयन समिति सूरतगढ द्वारा प्रार्थीया के आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया और प्रार्थीया का चयन निरस्त किया और सीडीपीओ साहब ने वार्ड पार्षद की रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर करते हुए प्रार्थीया का चयन नहीं किया। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर के कार्यालय आदेश कमांक 2332 दिनांक 06.07.2018 के तहत आवेदन मांगे गये थे जिसके तहत प्रार्थीया ने नगरपालिका सूरतगढ वार्ड नम्बर 19–4 में सहायिक पद के लिए आवेदन किया। शहरी चयन समिति सूरतगढ द्वारा प्रार्थीया वार्ड नम्बर 19–4 की होने के कारण चयन नहीं किया गया जबकि प्रार्थीया इसी वार्ड की मूल निवासी है। प्रार्थीया का राशन कार्ड,मूल निवासी प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड आदि प्रमाण–पत्र वार्ड नम्बर 19 के बने हुए है। प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेषभाव से, विधि विरूद्व, नियमों के विरूद्व तथा चयन समिति में पार्षद महोदय की गलत रिपोर्ट को मानते हुए प्रार्थीया के दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया, जबकि प्रार्थीया के 4 अंक सबसे अधिक है और प्रार्थीया का चयन होना था, परन्तु वार्ड पार्षद की गलत रिपोर्ट से चयन नहीं किया गया। प्रार्थीया ओबीसी की महिला है तथा कक्षा 12 वीं तक पढ़ी लिखी है तथा बीपीएल परिवार से है व दो बच्चे है एवं प्रार्थीया एक गरीब महिला है। लिहाजा अपील विरूद्व शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किया जाना सुनिश्चित कर प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 बाल विकास परियोजना अधिकारी, सूरतगढ ने अपने जबाब जरिये पत्रांक 1944 दिनांक 24.01.2019 मय सलंग्न दस्तावेजात प्रस्तु कर बहस में कहा है कि श्रीमान उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर के विज्ञप्ति पत्रांक 2332 दिनांक 06.07.2018 के द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सूरतगढ के अधीनस्थ आंगनबाडी केन्द्र सूरतगढ वार्ड नम्बर 19 चतुर्थ हेतु सहायिक पद हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थ। जिसकी अन्तिम तिथि 27 जुलाई 2018 सांय 5 बजे तक रखी गई थी। बालविकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ को उक्त अवधि में तीन आवेदन प्राप्त हुए थे। कार्यालय द्वारा वरीयता सूची जारी कर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्रावली चयन हेतु प्रस्तुत की गई। कमेटी में सम्बन्धित वार्ड पार्षद के द्वारा श्रीमती शारदा को उस वार्ड का निवासी नहीं होना बताया जाकर चयन निरस्त करने हेतु अध्यक्ष महोदय को कहा गया। वार्ड पार्षद के द्वारा आपत्ति करने पर चयन निरस्त कर दिया गया था। श्रीमती शारदा के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि आवेदक

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

श्रीमती शारदा पत्नी श्री प्रकाश सहायिका पद हेतु पात्रता रखने में सहमति व्यक्त की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1944 दिनांक 24.01.2019 में अंकित किया है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पत्रावली चयन हेतु प्रस्तुत की गई। कमेटी में सम्बन्धित वार्ड पार्षद के द्वारा श्रीमती शारदा को उस वार्ड का निवासी नहीं होना बताया जाकर चयन निरस्त करने हेतु अध्यक्ष महोदय को कहा गया। वार्ड पार्षद के द्वारा आपत्ति करने पर चयन निरस्त कर दिया गया था। प्रस्तुत अभिलेख में उक्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं है। केवल दो सदस्यों के ही हस्ताक्षर है अतः उक्त कमेटी की कार्यवाही ही अपूर्ण एवं दूषित है। उसे संबंधित वार्ड की निवासी नहीं होना करार देने के मूल में कोई प्रमाण नहीं है, केवल मात्र कथन कर देना ही पर्याप्त नहीं है। श्रीमती शारदा के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि आवेदक श्रीमती शारदा पत्नी श्री प्रकाश सहायिका पद हेतु पात्रता रखती है तथा विभाग की भी इसमें सहमति व्यक्त की गई। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर ने भी अपनी रिपोर्ट क्रमांक 223 दिनांक 24.01.2019 में अंकित किया है कि अपीलार्थीया श्रीमती शारदा के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवासी वार्ड नम्बर 19 के प्रस्तुत किये है, जिससे प्रमाणित होता है कि श्रीमती शारदा पत्नी श्री प्रकाश वार्ड नम्बर 19 की स्थाई निवासी है एवं सहायिका पद हेतु पात्रता रखती है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन निर्णय अपूर्ण, दूषित एवं न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा इसे निरस्त किया जाता है। रेस्पोडेन्टस को आदेशित किया जाता है कि वे नगरपालिका क्षैत्र सूरतगढ के वार्ड नम्बर 19 के लिए विज्ञप्ति सहायिका पद हेतु प्राप्त तीन आवेदन पत्रों में से दो योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण केवल मात्र आवेदिका अपीलार्थिया श्रीमती शारदा देवी पत्नी प्रकाश कुमार का चयन मानते हुए सहायिका के पद पर नियुक्ति की कार्यवाही करें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरतगढ (शहर) को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 28.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

28/1/19

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)